राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2 सैक्टर – 17
पंचकूला, हरियाणा – 134109

Website:www.secharyana.gov.in
Email id:sec@hry.nic.in

Phone: +91172 2584810
Fax : +91 172 258 5904

आदेश

जैसाकि श्रीमति राजकुमारी पत्नी श्री हरबीर सिंह मकान नं0 583, गांव गोन्छी, वार्ड नं0 1, जिला फरीदाबाद ने वर्ष 2017 में फरीदाबाद नगरनिगम के आम चुनावों में वार्ड नं01 से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पार्षद का चुनाव लड़ा था। नियमों के अनुसार उसे चुनाव परिणाम जारी होने के तीस दिन के अन्दर–अन्दर अपना चुनाव खर्च रजिस्टर उपायुक्त, फरीदाबाद के कार्यालय में जमा करवाना था। चुनाव खर्च रजिस्टर समय पर जमा न करवाने पर राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एस0ई0सी0/3एम0ई0/2021/790–854, दिनांक 24.03.2021 द्वारा श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री हरबीर सिंह को तीन वर्ष के लिये चुनाव लड़ने के लिये आयोग्य घोषित कर दिया गया था।

2. जैसाकि श्रीमती राजकुमारी प्रत्याशी ने दिनांक 25.07.2023 को निजी सुनवाई के लिये मेरे समक्ष उपस्थित होकर बताया कि चुनाव के दौरान उस पर चुनाव न लड़ने का दवाब बनाया गया और अन्ततः वह चुनाव हार गई। जिन व्यक्तियों द्वारा उस पर चुनाव न लड़ने का दवाब बनाया जा रहा था उनका प्रत्याशी भी चुनाव हार गया और उसकी हार का जिम्मेदार उसे (राजकुमारी को) ही माना जा रहा था। इसलिये उस पर मानसिक दवाब बनाते हुये उन लोगों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया गया था। दिनांक 15.05.2017 को उसके पति श्री हरबीर सिंह पर हत्या के आरोप में एफ0आई0आर0 दर्ज होने तथा तीन महीने तक जेल में होने के कारण वह अपना चुनाव खर्च रजिस्टर समय पर उपायुक्त, फरीदाबाद कार्यालय में जमा नहीं करवा सकी। उसने आगे निवेदन किया कि उसने दिनांक 24.04.2023 को चुनाव खर्च रजिस्टर उपायुक्त कार्यालय, फरीदाबाद में जमा करवा दिया है तथा उसका चुनावी खर्च तय चुनाव खर्च सीमा से कम है। इस सम्बन्ध में सबूत के तौर पर सभी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये अपीलार्थी श्रीमती राजकुमारी ने अनुरोध करते हुये कहा कि

उसके खर्च रजिस्टर को स्वीकार किया जाये तथा अयोग्य प्रत्याशियों की सूची से उसका नाम बाहर किया जाये।

3. मैने अपीलार्थी श्रीमती राजकुमारी को भली भांति सुन लिया है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों, दस्तावेजों का अवलोकन भी कर लिया है। इन सबसे यह सिद्ध होता है कि वह वाकई इस हाल में नहीं थी कि समय पर अपना चुनाव खर्च रजिस्टर उपायुक्त, फरीदाबाद कार्यालय में जमा करवा सके। इन परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं दिनांक 24.03.2021 के आदेश द्वारा श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री हरबीर सिंह को तीन वर्षो के लिये चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किये जाने की शेष अवधि को खत्म करता हूं तथा आदेश करता हूं कि श्रीमती राजकुमारी का नाम अयोग्य किये गये प्रत्याशियों की सूची से हटा दिया जाये।

दिनांक, पंचकूला
25 जुलाई 2023

धनपत सिंह
राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा

कमांक रा0नि0आ0/3एम0ई0/2023/1443-1448 दिनांक 03.08.2023

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त तथा सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, पंचकूला।
3. आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद।
4. उपायुक्त, फरीदाबाद।
5. श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री हरबीर सिंह, मकान नं0 583, गांव गोन्छी, वार्ड नं0 1, बल्लबगढ़, जिला फरीदाबाद।
6. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा को हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 8एफ के तहत हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाती है।

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
कृतेः राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा,
पंचकूला। 3/8/2023